



Shri: Bask. pl per up
13/8/15
SR (C-Plan)
13/8/15



(☎ 022-22862703)

ई-मेल/e-mail-irw@dae.gov.in

फैक्स/Fax No. - 2204 8476 &
2282 4354

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
परमाणु ऊर्जा विभाग
DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY
ओ. सं. एवं क. अनुभाग
IR&W SECTION

अणुशक्ति भवन
Anushakti Bhavan,
छ. शि. म. मार्ग
C.S.M. Marg,
मुंबई/Mumbai - 400001

संदर्भ सं./Ref. No. 7/2/2014/आईआरएंडडब्ल्यू/IR&W/ 236

जुलाई/July 03, 2015

कार्यालय ज्ञापन/OFFICE MEMORANDUM

विषय : प्रमुख हितग्राही की मृत्यु की दशा में चिकित्सा व्ययों की प्रतिपूर्ति के लिए अंस्वासेयो के तहत नामांकन सुविधा

Sub : Nomination facility under CHSS for claiming medical reimbursement in the event of death of the prime beneficiary

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि अंस्वासेयो के तहत प्रमुख हितग्राही को उनकी असाधारण मृत्यु होने की दशा में चिकित्सा व्ययों की प्रतिपूर्ति के लिये एक नामांकन का विकल्प प्रदान किए जाने का निर्णय इस विभाग द्वारा लिया गया है।

The undersigned is directed to state that the Department has decided to provide the option to the prime beneficiary under CHSS to nominate a person to claim reimbursement of medical expenses in the event of his/her (the prime beneficiary's) unfortunate death.

2. उक्त नामांकन सुविधा निम्नलिखित शर्तों के तहत प्रदान की जाएगी :

The nomination facility shall be subject to the following conditions:

(i) अंस्वासेयो के तहत नामांकन सुविधा प्रमुख हितग्राही के लिए ही उपलब्ध रहेगी।

The nomination facility shall be available only to the prime beneficiary under CHSS.

(ii) ऐसे हितग्राहीगण जो इस विकल्प का उपयोग करना चाहते हैं वे नामांकन की घोषणा को संलग्न निर्धारित "नामांकन प्रपत्र" में विधिवत रूप से पूरी तरह से भरकर संबंधित प्रशासन अनुभागों में प्रस्तुत करेंगे।

Beneficiaries who wish to exercise this option shall submit their declaration of nomination in the enclosed prescribed 'Nomination Form' duly filled up and complete in all respects, to the respective Administration Sections.

- (iii) समस्त प्रशासन अनुभागों में "नामांकन रजिस्टर" नामक एक अलग ही रजिस्टर रखा जायेगा जिसमें अस्वासेयो के तहत प्रमुख हितग्राही द्वारा प्रस्तुत किए गए नामांकन के विवरण दर्ज किया जाएगा। नामांकन विवरणों को दर्ज किए जाने के उपरांत प्रशासन अनुभाग द्वारा अस्वासेयो के कार्ड जारीकर्ता प्राधिकारी को "नामांकन प्रपत्र" अर्बेधित किये जाएंगे, जहां इन विवरणों की डेटा बेस में आवश्यक प्रविष्टियां की जाएंगी।

All Administration Sections shall maintain a separate register - 'Nomination Register' to record the particulars of the nomination submitted by the prime beneficiary under CHSS. Once the nomination details are recorded, the Administration Section shall forward the 'Nomination Form' to the respective CHSS Card issuing Authorities, for making necessary entries in the CHSS database.

- (iv) नामांकन को तभी वैध माना जाएगा जब उसकी अस्वासेयो डेटाबेस में प्रविष्टि कर दी गयी हो।

The nomination shall be treated as valid only if the same has been entered in the CHSS database.

- (v) केवल एक व्यक्ति का ही मूल नामिती अथवा प्रथम नामिती के रूप में नामांकन किए जाने की अनुमति है। इसके अलावा, अन्य व्यक्ति का वैकल्पिक नामिती अथवा द्वितीय नामिती के रूप में भी नामांकन किया जा सकता है, जो प्रथम नामिती की असामायिक मृत्यु होने पर विविक्तसा व्ययों की प्रतिपूर्ति का दावा कर सकता है।

Only one person shall be allowed to be nominated as the original nominee or first nominee. In addition, another person can also be nominated as alternate nominee or second nominee, who can claim reimbursement in the event of unfortunate death of the first nominee.

- (vi) प्रमुख हितग्राही इस प्रयोजन के लिए ऐसे किसी प्राकृतिक अथवा न्यायिक व्यक्ति का नामांकन कर सकता है जो मूल हितग्राही का संबंधी अथवा असंबंधी हो सकता है।

The prime beneficiary can nominate any natural or juristic person as his/her nominee for this purpose, whether related or unrelated to him/her.

- (vii) प्रमुख हितग्राही द्वारा इस विकल्प का उपयोग अपने जीवन काल के दौरान कभी भी किया जा सकता है। तथापि, इस विकल्प का उपयोग प्रमुख हितग्राही द्वारा अपने जीवनकाल में केवल दो बार ही किया जा सकता है।


This option can be exercised at any time during the life time of the prime beneficiary. However, this option can be exercised only twice in the lifetime of the prime beneficiary.

- (viii) किसी मामले में, यदि प्रमुख हितग्राही ने अपने जीवनकाल के दौरान किसी भी दिवस का उपयोग न किया हो तो, विद्यमान चिकित्सा व्ययों की प्रतिपूर्ति के दावे हेतु आवश्यक प्रावधान यथावत लागू रहेंगे।

In case, no option has been exercised during the life time of the prime beneficiary, the existing CHSS provision for claiming reimbursement of medical expenses shall continue to apply.

3. इसे अपर सचिव, पऊवि के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

This is issued with the approval of Additional Secretary, DAE.


(स्वाति पाण्डेय Swati Pandey)


निदेशक (आईआरएंडडब्ल्यू) Director (IR&W)

Nuclear Fuel Complex
General Section

Ref. NFC/GS/TP/2015

August / 2, 2015

Copy forwarded for information and necessary action.


(Ch. Jagadesh) 17/8
Asst. Personnel Officer (G)

All Plants & Sections, NFC

अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना
CONTRIBUTORY HEALTH SERVICE SCHEME

नामांकन प्रपत्र NOMINATION FORM

(जब प्रमुख हितग्राही यह चाहता है कि उसकी मृत्यु के पश्चात अंस्वासेयो के तहत चिकित्सा प्रतिपूर्ति का दावा करने के लिए एक व्यक्ति को नामित किया जाए When the CHSS prime beneficiary wishes to nominate a person to claim the medical reimbursements under CHSS in the event of his/her death)

मैं, इसके द्वारा निम्नलिखित व्यक्ति/व्यक्तियों को नामित करता हूँ तथा अपनी मृत्यु के बाद उन्हें चिकित्सा व्ययों की प्रतिपूर्ति(यों) की राशि, जो अंस्वासेयो के तहत बने दिशा-निर्देशों के अनुसार स्वीकृत हुई है तथा जिसका भुगतान मेरी मृत्यु के समय शेष अदत्त हो, प्राप्त करने हेतु अपने उक्त अधिकार को उन्हें प्रदान करता हूँ।

I, hereby nominate the person/persons mentioned below and confer him/her the right to receive the amount of medical reimbursement(s) in the event of my death, as have become admissible as per the laid down guidelines under CHSS and remained unpaid, at the time of my death.

नामिती Nominee	नाम तथा पता Name and Address	प्रमुख हितग्राही के साथ संबंध, यदि कोई हो Relationship, if any, with the prime beneficiary	आयु Age
मूल नामिती Original Nominee			
वैकल्पिक नामिती Alternative nominee (जिन्हें प्रमुख हितग्राही की मृत्यु के पूर्व नामिती की मृत्यु हो जाने पर अथवा प्रमुख हितग्राही की मृत्यु के पश्चात नामिती की मृत्यु होने पर परंतु चिकित्सा व्ययों की प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के पूर्व चिकित्सा व्ययों की प्रतिपूर्ति(यों) का दावा करने का अधिकार प्रदान होगा to whom the right, conferred on the nominee shall pass in the event of the nominee pre-deceasing the prime beneficiary or the nominee dying after the death of the prime beneficiary but before receiving the medical reimbursement)			

दिनांक माह 20..... को (स्थान).....में
Dated this day of 20..... at (Place)

(प्रमुख हितग्राही के हस्ताक्षर Signature of the prime beneficiary)

नाम Name :

अंस्वासेयो कार्ड नं. CHSS Card No.

पता Address :

संपर्क सं. Contact No.

प्रशासन कार्यालय में उपयोग हेतु FOR USE IN ADMINISTRATION OFFICE

नामांकन के विवरण प्राप्त किए तथा उन्हें नामांकन रजिस्टर में दर्ज किया।

Particulars of nomination received and recorded in the nomination Register.

अग्रोषित Forwarded

दिनांक Date :

सहायक कार्मिक अधिकारी Asst. Personnel Officer

सेवा/To, सहायक कार्मिक अधिकारी (अंस्वासेयो) APO(CHSS)

अंस्वासेयो कार्यालय में उपयोग हेतु FOR USE IN CHSS OFFICE

नामांकन के विवरणों की अंस्वासेयो डेटाबेस में प्रविष्टि की।

Particulars of nomination entered in the CHSS database.

दिनांक Date :

सहायक कार्मिक अधिकारी (अंस्वासेयो) Asst. Personnel Officer(CHSS)